

बिहार सरकार  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय  
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०/अ०सां०नि०/स्था०23-4/2020 99 /पटना, दिनांक-09.07/2020

कार्यालय-आदेश

Unlock-2 के अन्तर्गत कोविड-19 वायरस के प्रसार के रोकथाम हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक-3742 दिनांक-07.07.2020 तदनुसार जिला पदाधिकारी, पटना के आदेश ज्ञापांक-5604 दिनांक-08.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में दिनांक-10.07.2020 (शुक्रवार) से 16.07.2020 (गुरुवार) तक उप निदेशक एवं इससे ऊपर स्तर के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन कार्यालय आयेंगे तथा उप निदेशक से नीचे स्तर के पदाधिकारी/कर्मि आवश्यकतानुसार संबंधित वरीय प्रभारी के निदेश पर बुलाये जाने पर ही कार्यालय आयेंगे।

2. उक्त अवधि में सभी पदाधिकारी/कर्मि बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।


3. सभी पदाधिकारी/कर्मि अपने मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे। मोबाईल का ऑफ किया जाना अथवा विभाग द्वारा दूरभाष पर दी गयी सूचना का अनुपालन नहीं किया जाना कदाचार माना जायेगा।

4. उक्त पर निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(बंशीधर मिश्र)

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

ज्ञापांक- अ०सां०नि०/स्था०23-4/2020 1556 /पटना, दिनांक-09.07.2020  
प्रतिलिपि:- सचिव, के आर सचिव, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, कोषांग  
/सभी पदाधिकारी एवं कर्मि, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)  
क. क. क.